कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड़, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122 **E Mail :- eepdgpr1@.gmail.com**

पत्रांक–2039/23 एल0ए0 दिनांक–19.06.2023

सेवा में,

उपवंन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव वन प्रभाग वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय– जनपद चमोली में मानीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौडिया–सियासैंण मोटर मार्ग से जैसाल तक मोटर मार्ग एवं 30 मी0 स्पान मोटर लौह सेतु निर्माण का संरेखण हेतु 1.472 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ– भारत सरकार का पत्र सं0 8बी/य0सी0पी0/06/61/2021/एफ.सी./1374 दिनांक 07/01/2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के शासनादेश सं0 8बी/य0सी0पी0/06/61/2021/एफ.सी./1374 दिनांक 07/01/2022 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में बिन्दुवार निम्नवत प्रेषित है।

बिन्दु सं॰	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थति कोई भी परिवर्तन नही किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सोंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरणः (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.944 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम जैसाल खसरा संख्या 1283 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों की एकल प्लांटटेशन से बचें। (ख) गैर वनीकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हंस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के प्श्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी। एफ.सी.ए. 1980 की guidelion ds para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित /सरंक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य किया गया है। (घ) The KML files of the area to divented the ca arecas the proposed smc work the proposed catchm area treatment area and the WLMP area shall be unploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting complaionce report for seeking stage-II approval as the case may be.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु वर्तमान दरों पर रू॰ 1091935.00(दस लाख इकानन्बे हजार नौ सौ पेन्तीस) मात्र की धनराशि आर0टी0जी0एस0टी0एस0 आई0 एन0 नं॰ 522090674552 दिनांक 31.03.2022 वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.472 हे0 वन भूमि के सापेक्ष दुगने क्षेत्रफल में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 2.944 हे0 जैसाल सिविल का जिलाधिकारी चमोली के आदेश संख्या 7056/छबीस–35 एल0ए0सी0 (2021–2022) दिनांक 30.07.2022 द्वारा वन विभाग के नाम उक्त भूमि का अमलदरामद कर दिया गया है। सलंग्न–चालान की प्रति, अमलदरामद की प्रति नं॰–01–04। श शार्त मान्य है।

4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि, आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन स्तंभन की लागत परयोजना प्राधिकारण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किए जा सकते है।	उक्त शर्त मान्य है।
5	शुद्व वर्तमान मूल्यः (क) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (ब) संख्या 202/ /1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002 01.08.2003, 28.03.20008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt2) दिनांक 18.09.2003 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 10.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.472 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, जो अतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता	(क) शर्त संख्या 05 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ. सी. दिनांक 02.05.2022 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य 967104.00(नौ लाख सन्षठ हजार एक सौ चार) की धनराशि आर0टी0जी0एस0एस0बी0एन0–522090674552दिनांक 31.03.20222 वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। आर0टी0जी0एस0 संख्या एस0बी0आई0एन0 123164865302 दिनांक 13.06.2023 द्वारा उक्त धनराशि कैम्पा/ वन विभाग के पक्ष में संशोधित एन0पी0वी0 की धनराशि रू. 512565.00 का भुगतान कर दिया गया है। (ख) शपथ पत्र सलंग्न है, नं. 03–04।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेंड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले पेंड़ों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 67 वृक्षों एवं 05 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड़ों राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मोटर मार्ग निर्माण कार्य के समय 67 वृक्षों एवं 05 saplings अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा। वनभूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों का न्यूनतम पातन किया जायेगा। तथा वृक्षों का पातन कार्य वन विभाग की निगरानी में किया जायेगा।
7	परियेजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https//parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएगें।	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबधन और योजना प्राधिकारण फंड से स्थानतरित जमा कर दिया गया है।
8	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशानुसार के पेरों 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य करने के लिए पारित किये गये आदेशों की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित	पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।
9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम सें सुनिश्चित किया जाएगा।	उपरोक्त शर्त का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौंधों की संख्या बढ़ाएगा।	शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति नियिमन साइनेज लगाए जाएगें।	वन क्षेत्रों में निशिचत दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेगें।
12	पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1896 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	–
13	केंन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लाट नही बदला जाएगा।	केंन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्तावित समरेखण में कोई भी परिवर्तन नही किया जायेगा। प्रमाण पत्र सलंग्न है।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगां	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि के आस–पास कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा। प्रमाण पत्र सलंग्न है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा। प्रमाण पत्र सलंग्न है।

16	संबन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यवर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अकिंत हों।	प्रत्यावर्तित वन भूमि सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर. सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। प्रमाण पत्र सलंग्न है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र` के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंन्दर कोई अतिरिक्त नया मार्ग का निर्माण नही किया जायेगा। प्रमाण पत्र सलंग्न है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्टि प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण में ही किया जायेगा। प्रमाण पत्र सलंग्न है।
19	केंन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रतवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र सलंग्न है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार कार्यवाही होगी।	शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र सलंग्न है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र सलंग्न है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदृष्टि स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे । राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधें लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य	प्रायोक्ता अभिकरण द्वारा तक डिस्पोजल योजना प्रस्ताव पूर्व चयनित स्थलों पर वन विभाग की निगरानी में मलवा निस्तारण किया जायेगा।
	योजनानुसार समयसबद्व तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी एवं राज्य सरकार डम्पिगं क्षेत्र के वृक्षों की सूची पृथक से इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।	
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल है। (https//parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र सलंग्न है।

सलंग्न– तीन–तीन प्रतियों में अनुपालन आख्या।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड़, लो०नि०वि०,
गोपेश्वर।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम वत्त, लो०नि०वि०, गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता, (तृतीय) लो०नि०वि०, गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– खण्डीय अमीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड़, लो०नि०वि०,
गोपेश्वर।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE,
DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/61/2021/एफ.सी. 1374

दिनांक: 07/01/2022.

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद– चमोली में माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौडिया–सियासैंण मोटर मार्ग से जैसाल तक मोटर मार्ग एवं 30 मी0 स्पान मोटर लौह सेतु निर्माण का संरेखण हेतु 1.472 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/Road/44536/2020)

सन्दर्भः– उप सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–571/X-3-21/1(55)/2021 दिनांक 15.04.2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर उप सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 24.12.2021 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार **जनपद– चमोली में माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौडिया–सियासैंण मोटर मार्ग से जैसाल तक मोटर मार्ग एवं 30 मी0 स्पान मोटर लौह सेतु निर्माण का संरेखण हेतु 1.472 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.944 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम जैंसाल खसरा संख्या 1283 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।

ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ.सी.ए., 1980 की guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

1/3 contd..

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

घ) The KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.

4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिएं प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

5. **शुद्ध वर्तमान मूल्य**

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.472 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 67 वृक्षों एवं 05 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी ।

7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

8. गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश मे उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।

9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

10. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।

11. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

12. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

13. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

14. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

2/3 contd..

16. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
17. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
18. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
19. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
20. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
21. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
22. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी एवं राज्य सरकार डम्पिंग क्षेत्र के वृक्षों की सूची पृथक से इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।
23. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
24. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.V.
GOPESHWAR

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

आन्ध्रा Andhra कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 31-03-2022

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6144536109
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/61/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PROVINCIAL DIVISIONChamoli
Amount(in Rs)	2059039/-

Amount In Words :Twenty Lakh Fifty-Nine Thousand and Thirty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896144536109 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies m
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through ch
even after 7 working days, then kindly mail a copy o
Email: cb0371@unionbankofindia.com

Executive Engineer
Provincial Division P.W.D
Gopeshwar

31 MAR 2022

SBIN522090674552

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D
GOPESHWAR

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 13-06-2023

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6144536445
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/61/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PROVINCIAL DIVISIONChamoli
Amount(in Rs)	512565/-

Amount in Words :Five Lakh Twelve Thousand Five Hundred and Sixty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details; -

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896144536445 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through cl even after 7 working days, then kindly mail a copy id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse ubin0903710@unionbankofindia.bank

Executive Engineer
Provincial Division P.W.D
Bageshwar

भारतीय स्टेट बैंक, बागेश्वर-03291
13 JUN 2023
Vikram Singh Bisht

13 JUN 2023

SBIN123164865302

3

क्रम सं0 4036
पत्रावली सं0 1/वि0
दिनांक 05/09/2022

आदेश –

जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग के ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग एवं 30 मीटर स्पान मोटर लौह सेतु निर्माण के संरेखण से प्रभावित होने वाली 1.472 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 2.944 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं0–08बीं/यू0सी0पी0 /06/ 61/ 2021 / एफ0सी0/1374 दिनांक 07.01.2022 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उप महानिरीक्षक, वन(के0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0–08बीं/यू0सी0पी0/06/61/2021/एफ0सी0/1374 दिनांक 07.01.2022 की शर्त सं0–3(क) के अनुसार एवं उप जिलाधिकारी चमोली की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग के ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग एवं 30 मीटर स्पान मोटर लौह सेतु निर्माण के संरेखण से प्रभावित होने वाली 1.472 है0 वन भूमि के एवज् में ग्राम जैसाल, रा0उ0नि0 क्षेत्र छिनका, तहसील चमोली की ख0खा0सं0–25 के खसरा सं0–1283 रकबा 5.873 है0 भूमि मध्ये 2.944 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–10(4) भीटा के रूप में दर्ज अभिलेख है, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII (II) /2012–18(120)/2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

Signed by Himanshu Khurana
Date: 31-08-2022 21:37:21
(हिमांशु खुराना),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्याः 7056/छब्बीस–35एल.ए.सी(2021–2022) गोपेश्वरः दिनांकः 30 अगस्त, 2022

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
7. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, चमोली।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, गोपेश्वर।

जिलाधिकारी,
चमोली।

(6)

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

खसरा यथापूर्व | 793

797

भूमि आरक्षित वन के अधिकार | 805
... एवं ... परिवर्तित ...
... कार्यालय देहरादून के पत्र सं० | 82
... की एफ०ओ०पी० 108/122/2018/
... दिनांक 14.02-2021 की धारा सं० | 85
... के अनुसार उपजिलाधिकारी के
... आख्या के आधार शासनादेश सं० | 86
... (XVIII(II) 2012-18 (12)/
2018 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार | 9
... सं० 1283 र० 0.443 है०
... से भूमि वन विभाग के नाम से | 10
... से अमलदरामद किया।

06/1/2022
रा०उ०नि०
... | 10

10

10

10

11

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

(5)

प्रमाण पत्र

कार्य का नाम जनपद चमोली में ~~माननीय~~ मान्नीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौडिया–सियासैंण मोटर मार्ग से जैसाल तक मोटर मार्ग एवं 30 मी0 स्पान मोटर लौह सेतु निर्माण का संरेखण हेतु 1.472 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग पर निर्माण में एन0पी0वी0 दरों में यदि बढ़ोतरी होती है तो, विभाग द्वारा अतिरिक्त धनराशि विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख०, लो०नि०वि०
गोपेश्वर

(6)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No- 01372 – 252122

E Mail :- eepdgpr1@.gmail.com

न्यूनत्तम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र

कार्य का नामः– जनपद चमोली मे माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग से जैसाल तक मोटर मार्ग एवं 30 मी॰ स्पान मोटर सेतु निर्माण हेतु 1.472 हे॰ वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लाक निर्माण विभाग का प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण पर 67 वृक्षों का एवं 05 Saplings से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा, तथा छपान/पातन की कार्यवाही वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा।

6-7-23

अधिशासी अभियन्ता,
प्रा॰खण्ड, लो॰नि॰वि॰,
गोपेश्वर

Certificate

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड़ लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

(9)

एफ0आर0ए0 2006 सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

बिषयः— जनपद चमोली में माननीय मुख्यमत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौडिया–सियासैण मोटर मार्ग से जैसाल तक मोटर मार्ग एवं 30 मी0 स्पान मोटर लौह सेतु निर्माण हेतु 1.472 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के शर्तों का अनुपालन किया जायेगा, सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।

6-7-23

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय ख0लो0नि0वि0
गोपेश्वर।

Form-1

(For Linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :- **Dated :-** 25/01/2020

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98-FG(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 1.472 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Kodiya-Siyasain motor raod to Village Jaisal motor road Under Chief Minister Gram Sadak Sanyojan Yojana. (State Sector), Length 2.50 Km. Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.472 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s), Gram sabha (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District level committee are enclosed.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabha(s) have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.

Encl: As Above.

Signature

(Swati S. Bhadoriya)
(District Magistrate Chamoli)
जिला अधिकारी
चमोली

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

ANNEXURE

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate. Chamoli on dated 25/01/2020 at time .....at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 1.472 hect for the Kodiya-Siyasain motor raod to Village Jaisal motor road Under Chief Minister Gram Sadak Sanyojan Yojana. (State Sector), Length 2.50 Km. Under PWD Gopeshwar. Forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Dasoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated: 25/01/2020

Signature

(Swati S. Bhadoriya)
(District Magistrate Chamoli)
जिला अधिकारी
चमोली

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

प्रपत्र 232

परियोजना का नाम:— मा.मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग का विस्तार ।

कार्यालय उप जिलाधिकारी चमोली
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड़ स्तरीय समिति चमोली

जनपद चमोली, विकासखण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग का विस्तार हेतु 1.472 हे. सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड़ स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 17/11/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है:—

1– सुश्री बुशरा अंसारी ....उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
2– श्री ....उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
3– श्री सुनील नेगी ....सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य/सचिव
4– श्री श्रीमती विनीता देवी ....बी.डी.सी. क्षेत्र सदस्य

विनीता देवी बी०डी०सी० सदस्य दशोली चमोली

उपखण्ड़ सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा.मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग का विस्तार हेतु 1.472 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मिति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

उपजिलाधिकारी अध्यक्ष उपजिलाधिकारी चमोली	उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य	सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड दशोली चमोली	वी.डी.सी.क्षेत्र सदस्य देवेन्द्र सिंह नेगी सदस्य जिला पंचायत मादुला जिला-चमोली

DM FRA Letter

(4)

परियोजना का नामः— मा० मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सिमासैंण मो० मार्ग से ग्राम जैसाल तक मो० मार्ग का विस्तार।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सिमासैंण मो० मार्ग से ग्राम-जैसाल तक मो० मार्ग .... निर्माण हेतु 1.472 हे0 वनभूमि हस्तान्तरण हेतु 1.472 हे0 सिविल/आरक्षित वनभूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी, यह कि वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं हैं एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते है। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य हैं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त वनभूमि 1.472 हे0 सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिये परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामसभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत जैसाल
मीना देवी
दिनांक 24/6/2019
वि० ख० दशोली चमोली

हस्ताक्षर प्रधान

DM FRA Letter

प्रपत्र – 23.1

दिनांक 24/6/2019 को ग्रामसभा जैसाल .... की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :–

क्रम सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	DINESH CHANDRA	[signature]
2	छोटीलाल	छोटीलाल
3	कमला देवी	कमला देवी
4	कुलदीप जैसाली	[signature]
5	बिरखी देवी	बिरखी
6	अनुसूया प्रसाद	अनुसूया प्रसाद
7	सरला देवी	सरला देवी
8	अनिल चन्द्र	[signature]
9	कृष्णा डंडरियाल	[signature]
10	जगदम्बा प्रसाद	[signature]
11	गौरव कुमार	[signature]
12	मनोज पंत	[signature]
13	दीपक	Deepak
14	रीना देवी	Reena Devi
15	त्रिलोचना देवी	त्रिलोचना देवी
16	चन्द्रमणी कुकसाल	चन्द्रमणी
17	देवेन्द्र प्रसाद	[signature]
18	बीना/दीप्ती देवी	[signature]
19	सुरेश चन्द	[signature]
20	रमेश चन्द्र	रमेशचन्द्र

DM FRA Letter

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड़ लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@.gmail.com

10

आई॰आर॰सी॰ मापदण्ड समन्धी प्रमाण पत्र।

बिषयः— जनपद चमोली में माननीय मुख्यमत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौडिया–सियासैण मोटर मार्ग से जैसाल तक मोटर मार्ग एवं 30 मी0 स्पान मोटर लौह सेतु निर्माण हेतु 1.472 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।

6-7-23

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय ख0लो0नि0वि0
गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड़ लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

13

केन्द्र सरकार पूर्वानुमति सम्बन्धी प्रमाण पत्र

बिषयः— जनपद चमोली में माननीय मुख्यमत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौडिया–सियासैण मोटर मार्ग से जैसाल तक मोटर मार्ग एवं 30 मी0 स्पान मोटर लौह सेतु निर्माण हेतु 1.472 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा।

6-7-23

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय ख0लो0नि0वि0
गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड़ लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

19

वनभूमि पर श्रमिक शिविर स्थापित सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

बिषयः— जनपद चमोली में माननीय मुख्यमत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौडिया–सियासैण मोटर मार्ग से जैसाल तक मोटर मार्ग एवं 30 मी0 स्पान मोटर लौह सेतु निर्माण हेतु 1.472 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि के आस–पास कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।

6-7-23

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय ख0लो0नि0वि0
गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड़ लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

(15)

वैकल्पिक ईधन सम्बन्धी प्रमाण पत्र

बिषयः— जनपद चमोली में माननीय मुख्यमत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौडिया–सियासैण मोटर मार्ग से जैसाल तक मोटर मार्ग एवं 30 मी0 स्पान मोटर लौह सेतु निर्माण हेतु 1.472 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा श्रमिकों वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन की व्यवस्था की जायेगी। तथा पर्यावरण को किसी भी से नुकसान नही पहूंचाया जायेगा।

3-7-13

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय ख0लो0नि0वि0
गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड़ लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

16

आर0सी0सी0 पिलर्स सम्बन्धी प्रमाण पत्र

बिषयः— जनपद चमोली में माननीय मुख्यमत्री सडक संयोजन योजनार्न्गत कौडिया–सियासैण मोटर मार्ग से जैसाल तक मोटर मार्ग एवं 30 मी0 स्पान मोटर लौह सेतु निर्माण हेतु 1.472 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मोटर मार्ग के समरेखण पर दोनों साईड **Forward/Back Ward beearings** अकिंत कर दिये जायेगें।

6.7.13

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय ख0लो0नि0वि0
गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड़ लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122

E Mail :- eepdgpr1@.gmail.com

निर्माण सामग्री के परिवहन सम्बन्धी प्रमाण पत्र

बिषयः– जनपद चमोली में माननीय मुख्यमत्री सडक संयोजन योजनान्र्गत कौडिया–सियासैण मोटर मार्ग से जैसाल तक मोटर मार्ग एवं 30 मी0 स्पान मोटर लौह सेतु निर्माण हेतु 1.472 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई भी अतिरिक्त नया मार्ग निर्माण नही किया जायेगा।

6-7-23
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय ख0लो0नि0वि0
गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड़ लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

(10)

प्रस्तावित प्ररियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजन सम्बन्धी प्रमाण पत्र

बिषयः- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमत्री सडक संयोजन योजनार्न्गत कौडिया-सियासैण मोटर मार्ग से जैसाल तक मोटर मार्ग एवं 30 मी0 स्पान मोटर लौह सेतु निर्माण हेतु 1.472 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण में ही किया जायेगा।

6-7-23

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय ख0लो0नि0वि0
गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड़ लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@.gmail.com

(19)

केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति सम्बन्धी प्रमाण पत्र

बिषयः- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमत्री सडक संयोजन योजनार्न्गत कौडिया–सियासैण मोटर मार्ग से जैसाल तक मोटर मार्ग एवं 30 मी0 स्पान मोटर लौह सेतु निर्माण हेतु 1.472 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द सरकार की पूर्वनुमति के बिना वन भूमि किसी भी अन्य परियोजन हेतु उपयोग नहीं किया जायेगा।

6-7-23

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय ख0लो0नि0वि0
गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड़ लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122

E Mail :- eepdgpr1@.gmail.com

(20)

वन अधिनियम 1980 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

बिषयः– जनपद चमोली में माननीय मुख्यमत्री सडक संयोजन योजनान्र्गत कौडिया–सियासैण मोटर मार्ग से जैसाल तक मोटर मार्ग एवं 30 मी0 स्पान मोटर लौह सेतु निर्माण हेतु 1.472 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

6-7-23

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय ख0लो0नि0वि0
गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड़ लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@.gmail.com

(21)

वन्य जीवों के संरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र

बिषयः- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमत्री सडक संयोजन योजनार्न्गत कौडिया-सियासैण मोटर मार्ग से जैसाल तक मोटर मार्ग एवं 30 मी0 स्पान मोटर लौह सेतु निर्माण हेतु 1.472 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण व विकास हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तों का पालन किया जायेगा।

6-1-23

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय ख0लो0नि0वि0
गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड़ लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122

E Mail :- eepdgpr1@.gmail.com

(28)

<u>अनुपालन रिपोर्ट ई–पोटर्ल सम्बन्धी प्रमाण पत्र</u>

बिषयः– जनपद चमोली में माननीय मुख्यमत्री सडक संयोजन योजनान्र्गत कौडिया–सियासैण मोटर मार्ग से जैसाल तक मोटर मार्ग एवं 30 मी0 स्पान मोटर लौह सेतु निर्माण हेतु 1.472 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन आख्या ई–पोर्टल के माध्यम से आन लाईन प्रेषित कर दी जायेगी।

6-7-23

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय ख0लो0नि0वि0
गोपेश्वर।